

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हवीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल: mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष: 0755-2427091

क्रमांक
प्रति,

3014
/टीसी/20/धार/उपां-क/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक:- 04/08/2025

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
भोपाल।

विषय:-

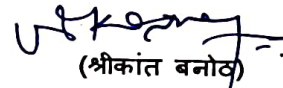
मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन धार विकास योजना, 2021 में ग्राम मालीवाडा तहसील एवं जिला धार स्थित खसरा क्रमांक 833/1 रकबा 8.00 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक के अन्तर्गत मण्डी, वर्तमान मार्ग एवं प्रस्तावित मार्ग में भू-उपांतरण बाबत।

(आवेदक - सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जिला धार म.प्र.)

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने धार विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः संलग्न सूचना, धार नगर में प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा धार नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदनुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस संचालनालय को उपलब्ध का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि

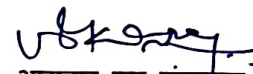

(श्रीकांत बनोट)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

3015
पृ. क्रमांक /टीसी/20/धार/उपां-क/नगानि/2025
प्रतिलिपि:-
म.प्र. भोपाल
भोपाल, दिनांक:- 04/08/2025

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2 कलेक्टर, जिला धार म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 3 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जिला धार म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 4 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार म.प्र. की ओर लेख है कि उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपति / सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि


आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

010

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल: mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष: 0755-2427091

सूचना

30/11

भोपाल, दिनांक:- 4/10/2025

क्रमांक /टीसी/20/धार/उपां-क/नगानि/2025 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट धार विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं.	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम मालीवाडा तहसील एवं जिला धार	833/1	8.00	8.00	प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र, वर्तमान मार्ग (प्रस्तावित 30.0 मीटर) एवं प्रस्तावित मार्ग (30.0 मीटर -30.0 मीटर)	वाणिज्यिक के अन्तर्गत मण्डी, वर्तमान मार्ग (प्रस्तावित 30.0 मीटर) एवं प्रस्तावित मार्ग (30.0 मीटर -30.0 मीटर)
कुल रकबा			8.00	8.00		

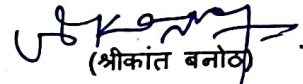
शर्त :-

- प्रश्नाधीन भूमि तिरला मार्ग से मांडव की ओर जाने वाले वर्तमान मार्ग मांडव लिंक रोड के पश्चिम दिशा में स्थित है। जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर है। अतः मार्ग के मध्य से दोनो ओर 15.00 - 15.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
- प्रश्नाधीन भूमि में धार विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित 30.00 मीटर-30.00 मीटर चौड़े मार्ग है। उक्त प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना अनुसार यथावत रखना आवश्यक होगा।
- आवेदित भूमि के पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में नाला स्थित है। अतः मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) अनुसार नाले के किनारे से दोनो ओर उसके उच्चतम जल स्तर से 9.0 - 9.0 मीटर खुली भूमि रखना आवश्यक होगा।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
- पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. प्रस्तावीत भूमि में से 11 के.व्ही. एल.टी. विद्युत लाईन गुजरती है। अतः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 52 के अनुसार विद्युत लाईन से नियमानुसार न्यूनतम खुला क्षेत्र अथवा संबंधित विभाग के नियमानुसार जो भी अधिक हो खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा तथा विद्युत लाईनों के पास छोड़ी गई खुली भूमि में एवं उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
7. धार विकास योजना, 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय धार तथा संचालनालय की वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।


(श्रीकान्त बनोठ)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

olc